न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 38 / 2016 / बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 201 / 2012 बअनवान नानजीराम बनाम हीराराम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2016।

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
हीराराम गोद पुत्र तुलसाराम जाति कलबी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.नानजीराम पुत्र लादाराम जाति कलबी निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 2.श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 12.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया कि वादी / उतरदाता संख्या 1 एवं अपीलांट की पुश्तैनी संयुक्त हक कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 41.15 बीघा, खसरा संख्या 353 रकबा 115.08 बीघा, खसरा संख्या 409 रकबा 113.10 बीघा कुल रकबा 270.13 बीघा मौजा रतनपुरा में अवस्थित है तथा तेजा के वंशज है तेजा के तीन पुत्र वादी / उतरदाता संख्या 1 के पिता लादा, प्रतिवादी संख्या 1 के दतकग्रहिता पिता तुलसा एवं खीमा जो लाऔद फौत हुए थे खीमा फौत होने पर उसके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 होने से वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा वादी(प्रतिवादी संख्या 1) का एवं 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलकर्ता) का हुआ तथा इसी अनुसार पक्षकार काबिज है। खसरा संख्या 5 को छोड़कर शेष भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 64 के जरिये माफिक वास्तविक हक हिस्सा अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 के बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज हुई किन्तु इसी ग्राम की खसरा संख्या 5 रकबा 41.15 बीघा भूमि में जरिये नामान्तकरण संख्या 64 से 1 / 4 हिस्सा वादी / उतरदाता संख्या 1 की एवं 3 / 4 हिस्सा अपीलकर्ता की खातेदारी में दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कर दिया गया तथा पटवारी हल्का रतनपुरा द्वारा नामान्तकरण संख्या 64 में अंकित वंश वृक्ष भी दोनो पक्षो का बहिस्सा बराबर हक होना प्रमाणित है। इस आशय का हिस्सा घोषित कर विभाजित करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। उतरदाता संख्या 1 द्वारा फर्जी तामील के आधार पर अपीलकर्ता के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मनो को विधिवत रूप से अपीलांटगण से तामील नही करवाया गया है। अपीलांटगण ने उक्त वाद के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामिल नही करवाये। सम्मनों पर अपीलांटगण के फर्जी हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किये गये। इस कारण अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। तथा एक रिकॉर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में वाद की प्रक्रिया का पालन नहीं किया तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर न देकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को गोद पुत्र मान लिया गया है जबकि रजिस्ट्रर्ड गोदनामा नहीं है। प्रकरण प्रारंभिक डिक्री के संबंध में पेश है। जबकि अंतिम डिक्री दिनांक 30.03.2016 को जारी हो चुकी है। सम्मन तामील एवं अनियमितता के आधार पर एकतरफा डिक्री निरस्त नहीं की जा सकती। अपील गुणावगुण पर निर्णित होनी चाहिये, सम्मन तामिल के आधार पर नहीं होनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2004(2) Page 1140 (नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही हैं तथा अधिकार अथवा स्वत्व सृजित नहीं करती) इसी के संदर्भ में आर.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आर.टी. 2003(1) पेज 650 जेठूसिंह बनाम भंवरसिंह व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसीडिंग है। नामांतरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामांतरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उतराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। **स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये पक्षकारों को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये।)**

RRT 2004(2) Page 861 (नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही हैं तथा स्वत्व व अधिकार निर्णीत नहीं किये जा सकते इसके संदर्भ में हमारा यह मानना है कि नामान्तरकण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है तथा फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसमें अधिकारों व स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जाता है। अधिकार व स्वत्वों का निर्धारण तो विस्तृत विचारण उपरान्त दावे में ही किया जाएगा।)

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट को सम्मन बाकायदा उसके घर पर चस्पा करके तामील करवाया गया जो सम्मक तामील की तारीफ में शुमार होता है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांन्त की पालना होना पाया जाता है। अपीलांट की बावजूद सूचना अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी तरह से अनियमित नहीं है। अपीलांट ने अपील के पैरा संख्या 1 में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। तेजा के तीन पुत्र उतरदाता संख्या 1 के पिता लादा, उतरदाता संख्या 1 के दतकगृहीता पिता तुलसा एवं खीमा जो लाऔलाद फौत हुए थे। खीमा फौत होने पर उसके वारिस अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 1 का 1/2–1/2 हुआ। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2019–2022 ग्राम रतनपुरा विवादित खसरा संख्या 5 के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि तत्समय हीरा पुत्र तुलछा, खीमा पुत्र तेजा 1/2 तथा नानजी पुत्र लादा 1/2 तयशुदा हिस्सा था जो संवत 2024 से 2027 की जमाबंदी में भी यथावत रहा। राजस्व अभिलेख अपीलांट के कथनों का समर्थन नहीं करता है। खीमा के फौत हो जाने पर भरा गया नामांतरकरण संख्या 64 स्पष्ट करता है कि अपील के पैरा संख्या 1 में दर्शाया वंशवृक्ष सही है जो इस नामांतरकरण पर स्पष्टतः अंकित है, परन्तु हीरा पुत्र तुलछा 3/4 व नानजी पुत्र लादा 1/4 की प्रविष्टि में गौर लायक काट–छांट की गई है। खीमा की फौतगी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नामांतरकरण में नियमानुसार प्रविष्टि केवल हीरा पुत्र तुलछा 1/2 तथा नानजी पुत्र लादा 1/2 आनी चाहिए जबकि ऐसा नही कर रिकॉर्ड मे अनियमित एवं आधारहीन प्रविष्टि की गई जो विधि की दृष्टि से कतई बरकरार रखी जानी उचित नहीं है। इस नामांतरकण में अनियमित प्रविष्ट हक–हिस्सों को रेस्पोडेंटस ने नियमित वाद के जरिये चुनौती देकर अपीलाधीन निर्णय में बाद साक्ष्य अपने पक्ष में सही हिस्से को घोषित करवाया जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यथोचित एवं सद्भावी कार्यवाई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय वाद में बाद साक्ष्य जो निर्णय पारित किया हुआ है वह विधि सम्मत एवं राजस्व अभिलेखों के पुष्ट प्रमाणों के आलोक में बाकायदा साबित है। इसमें किसी भी प्रकार से दखलंदाजी की कोई गुंजाईश नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील एवं उक्त नामांतरकरण संख्या 64 में खसरा संख्या 5 से संबंधित प्रविष्टि खारिज योग्य होने से खारिज करार दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी के राजस्व वाद संख्या 201/2012 बअनवान नानजीराम बनाम हीराराम में पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

12/3/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner